Title: Consideration of the Electricity Bill, 2001.(Not Concluded)

सभापति महोदय : इलैक्ट्रिसिटी बिल को मंत्री जी सिर्फ इण्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, आपने खुद व्यवस्था दी थी और सदन में कोरम भी नहीं है।

सभापति महोदय : व्यवस्था है। बिल पर डिबेट नहीं होगी, माननीय गीते जी की रिक्वैस्ट है, वे बिल को सिर्फ मूव करना चाहते हैं। इस पर डिबेट कल होगी।

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि विद्युत के उत्पादन, प्रेाण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणतः विद्युत उद्योग के विकास के सहायक उपाय करने, विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण, सहायकियों के बारे में स्पट नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरण के अनुरूप नीतियों के संवर्धन, केन्द्रीय विद्युक प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन और अपील अधिकरण की स्थापना से सम्बन्धित विधियों का समेकन और उनसे सम्बन्धित या उसके आनुंगिक वियों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विद्युत विधेयक, 2001 एक महत्वपूर्ण विधेयक है और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई दिशा निश्चित रूप में इस विधेयक के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि विद्युत विधेयक, अगस्त, 2001 में लाया गया तथा इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए यदि कोई आवश्यक एमेंडमेंट करना है तो उस एमेंडमेंट को लाने के लिए, करनेके लिए और डिटेल में, विस्तार से इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया।

स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक पर काफी चर्चा की। ऊर्जा से जुडे हुए जितने भी लोग हैं, उन सबसे स्टैडिंग कमेटी ने सम्पर्क किया और उनकी राय ली। क्लाज बाई क्लाज इस विधेयक पर स्टैंडिंग कमेटी ने अध्ययन किया और बाद में अपनी रिपोर्ट को इस सदन के सामने पेश किया। मैं सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के सारे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक में दिलचस्पी दिखाई और गहरा अध्ययन करते हुए जो सिफारिशें इस विधेयक में अमेंडमैंट हेतु लानी चाहिए, उन् सिफारिशों को रिपोर्ट के तहत इस सदन के सामने उन्होंने पेश किया।

इस विधेयक के बारे में सदन को जानकारी देते समय सर्वप्रथम मैं यह स्पट करना चाहूंगा कि देश में बिजली का जो आम उपभोक्ता है, वह आम उपभोक्ता इस ि वधेयक का केन्द्र बिंदू है। उपभोक्ता प्रथम इस मूलभूत संकल्पना को समक्ष रखकर कृि, औद्योगिक, वाणिज्यिक, ग्रामीण शहरी तथा दुर्गम सभी वर्गों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को और उनकी समस्याओं को इस विधेयक में शामिल किया गया है। आप सब जानते हैं कि उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली विश्वसनीय बिजली देश के प्रत्येक भाग और उपभोक्ता वर्ग की आधार भूत आवश्यकता बन गयी है। यह एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है जिस पर गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन देश के सभी भागों का संतुलित विकास और प्रतिर्वा आठ परसेंट विकास दर जो हम चाहते हैं, ये सारी चीजें आज ऊर्जा पर निर्भर है। साथ ही साथ वैश्वीकरण के इस युग में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी आर्थिक कार्यों के लिए उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली पर निर्भर करती है।

आप सभी जानते हैं कि यदि सस्ती और अच्छी बिजली उद्योग जगत के लिए हम दे पाते हैं तो उदारीकरण की नीति के कारण जो उद्योग क्षेत्र में स्पर्धा आयी है, उस कम्पीटिशन में हम टिके रह पायेंगे। विद्युत क्षेत्र में आज हम एक कठिन परिस्थिति का सामना करने जा रहे हैं। यह देश तथा इस सदन के सभी वर्गों के बीच यह एक चिंता का विाय है। आज देश के लगभग सभी राज्यों में बिजली की कमी है। अच्छी बिजली की मांग हर वर्ग से आती है। सस्ती बिजली की मांग भी हर वर्ग से आती है। आज देश के हर वर्ग के लिए यह एक चिंता का विाय बना हुआ है। इसीलिए इस विाय में हमारी जो चिन्तायें हैं, समस्याएं हैं, उन चिन्ताओं के बारे में मैं संक्षेप में यहां पर सदन को अवगत कराना चाहूंगा। अधिकांश लोगों को जिन्हें विद्युत उपलब्ध है, नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है। हमारा उद्योग टैरिफ विश्व में सर्वाधिक टैरिफ मैं है।

हाल के वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति में काफी गिरावट हुई है। आपूर्ति की प्रति यूनिट लागत एवं राजस्व के बीच में काफी बड़ा अंतर है और समय के साथ राज्य विद्युत बोर्डों की वार्षिक हानियों में भी वृद्धि हो रही है तथा ये अस्थिरता के कगार पर खड़े हैं। आज लगभग सारे विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति यही है और यह चिंता का विाय है। गत दो योजनावधियों में हमने अपनी नियोजित क्षमता अभिवृद्धि में मुश्किल से आधी ही प्राप्त की है, पचास प्रतिशत ही हम ऊर्जा का निर्माण कर पाए हैं। सरकार की गारंटी के आधार पर निवेश आमंत्रित करने के दृटिकोण से भी हमारी सकारात्मक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई है। यह हमारा मानना था कि यदि राज्य सरकारें या केन्द्र सरकारें किसी ऊर्जा निर्माण के प्रोजेक्ट को गारंटी देती हैं तो हमारे यहां कई ऊर्जा के निर्माण के प्रोजेक्ट आएंगे और उससे हमें अतिरिक्त बिजली मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संदर्भ में भी जो परिणाम हम चाहते थे, वे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश में व्यस्ततम समय में विद्युत की कमी चिंता का विाय है। स्थिति और बदतर होती किंतु हाल के उत्पादन उद्योग जगत में मंदी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। आज जो उद्योग जगत की स्थिति है और उसमें यदि मंदी है और यदि मंदी नहीं होती तो ऊर्जा की समस्या हमारे देश के सामने और बड़ी समस्या होती।

अभी हमारे लगभग 80,000 गांव ऐसे हैं जहां हम अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। लगभग पचास प्रतिशत घरों में आज भी हम बिजली नहीं दे पाए हैं। यह पॉवर डिवाईड देश के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है और इस देश के विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है, जैसे कि सदन की जानकारी में माननीय प्रधान मंत्री जी ने मार्च 2001 में देश के सारे मुख्य मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। जिस सम्मेलन में ऊर्जा की स्थिति पर चिंता जताई गई थी और उसी सम्मेलन के अंदर यह निर्णय किया गया, यह तय किया गया कि हमें इस प्रकार के एक कानून की आवश्यकता है जो काम्प्रीहेंसिव हो, सर्व समावेाक हो और जिस कानून के तहत हमें जो अतिरिक्त बिजली का निर्माण करना है, उसके लिए जो पूंजी निवेश की आवश्यकता है तो निवेश आए। हमारी जो वितरण की प्रणाली है, हमारी जो पारेाण की प्रणाली है, उसके अंदर जो निवेश की आवश्यकता है, वह निवेश आए। हमारे वितरण की प्रणाली में जो कमियां हैं, जो खामियां, जो त्रुटियां हैं, जो पुरानी पद्धति है, जिसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें भी निवेश की आवश्यकता है और इसीलिए एक सर्वसमावेाक काम्प्रीहेंसिव विधेयक हो, इस प्रकार का कानून हो जिसके तहत ऊर्जा के क्षेत्र में जो लक्ष्य हमने तय किया है, उस लक्ष्य तक हम जा सकें और इसलिए यह विधेयक इस दृटि से भी महत्व रखता है। हमें ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति की स्थिति बेहतर बनाये रखने तथा विद्युत अभाव से देश को मुक्त कराने के लिए अतिरिक्त उत्पादक क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि प्रणाली विश्वसनीय बन सके। हमें विद्युत स्टेशनों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना होगा और उन पर ध्यान देना होगा ताकि राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर विद्युत क्षेत्र की हानियां भारी न पड़ें। इस विधेयक का जो महत्व है, उसे मैं यहां सदन के सामने रख रहा हूं। विद्युत क्षेत्र को सरकार की सहायता के बिना ही पूंजीगत बाजार से धन जुटाने में सक्षम होना चाहिए। उपभोक्ता सर्वोपरि हैं जिनकी सेवा और सुि वधा का ध्यान रखते हुए उचित दर पर गुणवत्ता परक विद्युत उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इन सारी बातों के लिए यह विधेयक एक महत्व रखता है।

इसी पार्श्वभूमि पर सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा उनमें से अधिकांश को मंजूरी दी। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि लगभग 83 सिफारिशें स्थायी समिति ने दी।

19.00 hrs.

उनमें से 68 सिफारिशों को हमने इस विधेयक में शामिल किया है और स्वीकार किया है। जो बाकी सिफारिशें हैं, जो सीधे विधेयक में आना आवश्यक नहीं थीं, लेकिन इसी संदर्भ में जो हम राट्रीय ऊर्जा नीति बनाने जा रहे हैं, ट्रैरिफ नीति बनाने जा रहे हैं, बाकी सिफारिशें उस पालिसी से जुड़ी हुई हैं। उन सिफारिशों पर भी, जब हम पालिसी तय करेंगे, विचार किया जाएगा।

सभापति जी, स्थाई समिति द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, विधेयक के उद्देश्य, विद्युत नीति, टैरिफ नीति, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु विशेा प्रबंध, विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रावधान, राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन, उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेा प्रयास तथा क्रास सब्सिडी संबंधी मामलों से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधनों में इन चिंताओं का समावेश किया गया है।

विधेयक में शामिल उद्देश्यों को विस्तृत करके इसमें विद्युत उद्योगों का विकास, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति को भी शामिल किया गया है। राट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य संसाधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय तत्वों, जल एवम् अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना होगा। पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक में एक राट्रीय टैरिफ नीति की व्यवस्था की गई है जिनका अनुपालन विनियामक आयोगों को करना होगा। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए ऑम्बड्समैन का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी में चरणबद्ध तरीके से कमी करने के लिए विशिट प्रावधान किए गए हैं। यदि राज्य सरकार खास उपभोक्ता समूहों को सब्सिडी देना चाहती है, तो इसका भी विधेयक में प्रावधान है, जिसके लिए यूटिलिटी को समानुरूपी भुगतान किया जाएगा। ताकि जो जरूरतमंद हैं, जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको दी जा सके। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी निभानी होगी और यूटिलिटियों को जो सब्सिडी देनी है, उसका प्रावधान करें। उसका भुगतान राज्य सरकार यूटिलिटियों को करें।

विद्युत उत्पादन, पारेाण एवम् वितरण क्षेत्रों में जवाबदेही लाने के मामले को प्रमुख बनाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा हो सके। इस प्रकार के पुनर्गठन में कर्मचारियों के रोजगार संबंधी नियम एवम् शर्तों को पूर्णतः सुरक्षित रखा गया है। जहां रीआर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वह पुनर्गठन के लिए हम चाहते हैं इस विधेयक में कि राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति में सुधार हो, लेकिन पुनर्गठन करते समय जो राज्य विद्युत बोर्डों के कर्मचारी हैं, उनके हितों का भी रक्षण किया गया है। उनके हितों के दायरे के बारे में भी इस विधेयक में सोचा गया है।

सभापति जी, अनेक राज्य सरकारें, जिन्होंने विद्युत चोरी निवारक कानून पारित किए हैं, उनके अनुभवों के आधार पर विशेा अदालत गठित करने का प्रावधान किया गया है ताकि विद्युत चोरी रोकने के प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

यह विधेयक विद्युत क्षेत्र का उदार ढांचा प्रस्तुत करता है और तीन विद्यमान कानूनों नामशः भारतीय बिजली अधिनियम, 1910, भारतीय विद्युत (आपूर्ति) 1948, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का स्थान लेता है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से देश के विद्युत क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने तथा भारतीय विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ एक नए युग का सूत्रपात करने में मदद मिलेगी।

इस विधेयक का उद्देश्य "विद्युत के उत्पादन, पारेाण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित तथा सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास के प्रेरक उपायों को करने के लिए कानूनों को एकीकृत करना, विद्युत उद्योगों में प्रतिस्पर्धा पैदा करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करना, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण करना, आर्थिक सहायताओं संबंधी पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल एवम् पर्यावरणीय दृटि से उपयुक्त नीतियों को प्रोत्साहन प्रदान करना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व विनियामक आयोगों की स्थापना करना, अपीलीय न्यायालय की स्थापना करना और तत्संबंधी मामलों पर कार्रवाई करना है।"

सभापति जी, यह विधेयक सदन के सामने चर्चा के लिए आ रहा है। जो भी सिफारिशें, सुझाव यहां पर आयेंगे, निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाएगा। अब मैं सदन के सामने प्रार्थना करता हूं कि संशोधनों की सूची के समय विधेयक 2001 पर विचार करें और इन्हें स्वीकृति प्रदान करें।

MR. CHAIRMAIN : The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock tomorrow.

19.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

onWednesday, April 9, 2003/Chaitra 19, 1925 (Saka).